

## जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


क्रमांक: एफ/प्रशा/स्था /2025/१२१४

दिनांक...०३/०१/२५

// कार्यालयीन आदेश //


माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्र० 17704/2018 में जारी दिशा निर्देश एवं अपर आयुक्त (स्वा०), कार्यालय आयुक्त, नगर पालिक निगम, ग्वालियर से प्राप्त पत्र क्रमांक 2/06/21/2/10/स्वा०वि०/24 ग्वालियर दिनांक 01/01/2025 के संबंध में समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक/अधिकारी/कर्मचारियों/छात्र एवं छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वह विश्वविद्यालय परिसर में सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलिथिन के स्थान पर नॉन प्लास्टिक बायो डिग्रेडेबल मटेरियल से बने कैंरी बैग/कपड़े के थैले का उपयोग करना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

  
कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. अपर आयुक्त (ग्वालियर), नगर पालिक निगम, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ
2. समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. कुलगुरु के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. सहा०-कुलसचिव (प्रशा०), जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
7. प्रभारी, आई०टी० सेल की ओर इस आशय के साथ प्रेषित कि वह उक्त आदेश को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।
8. पत्रावली हेतु।

सहा०  कुलसचिव (प्रशासन)